कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्राक–77/ग्रा.अ.से./सी.सी.रोड–के.सी.ड्रेन/निर्देश/2009–10 दिनांक–03–07–09

1. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता**
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त अधिशासी अभियन्ता**
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत प्रस्तावित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–2539/33–2–2008–115जी/2008 दिनांक 16–06–2009 एवं प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्रांक–378/कैम्प/प्र.अ.विकास/69–सी.सी.रोड/2009 दिनांक 17–06–2009 द्वारा निर्गत विशिष्टियों के अनुरूप ही सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन का निर्माण किया जाना है। महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विस्तृत रूप से पुनः उल्लेख करते हुये निर्देशित किया जाता है कि निम्न निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

1. D.P.R. Preparation (प्रांक्कलन गठन) –

प्रांक्कलन गठन के लिए इस कार्यालय के पत्रांक–296/ग्रा.अ.से./प्राक्कलन गठन/ 2000–2001 दिनांक 28–07–2000 के द्वारा पूर्व में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। सी.सी.रोड/के.सी. ड्रेन के प्राक्कलन गठन के सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र में निहित निर्देशों के अतिरिक्त निम्न बिन्दु विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

1.1. सी.सी. रोड के निर्माण के पूर्व चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों के पूरी आबादी की सभी गलियों का विस्तृत सर्वेक्षण अधिशासी अभियंता द्वारा अपनी देख रेख में कराया जायेगा तथा गलियों का एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, प्लेन टेबुल सर्वे (Plain Table Survey) करके आबादी का मानचित्र तैयार किया जायेगा, जिसमें प्रस्तावित पूरे ग्राम सभा की सभी गलियों की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा महत्व पूर्ण बिन्दुओं के आर. एल. (Reduce Level) अंकित किये जायेंगे एवं उक्त सर्वेक्षण के आधार पर ही ड्रेनेज प्लान तैयार किया जायेगा।

1.2. तैयार किये गये ड्रेनेज प्लान के आधार पर सी.सी.रोड/के.सी. ड्रेन का लेवल इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सामान्य परिस्थितियों में घरों का पानी एवं वर्षा के पानी का पूर्ण निकास के.सी.ड्रेन से सम्भव हो सके। सही सर्वेक्षण एवं समुचित ड्रेनेज प्लान करना अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण के उपरान्त प्लान, L-Section, Cross Section पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

1.3. एल. सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ड्रेनेज प्लान का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह भी ऐसे चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का स्वयं भी स्थल का सत्यापन कर लें।

1.4. एल. सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, प्लेन टेबुल मैप, ड्रेनेज प्लान, प्राक्कलन का भाग होगा । प्रत्येक प्राक्कलन में कार्यों की विस्तृत विशिष्टियाँ, अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा कार्यस्थल की चेकिंग की तिथि, अधीक्षण अभियन्ताओं के अनुमोदन की तिथि, मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी का स्टेटस अंकित किया जायेगा।

1.5. सभी चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्राम में मात्र 40 लाख रुपये का कार्य किया जाना है। जिसका प्राक्कलन स्वीकृत करना अधिशासी अभियन्ता के वित्तीय अधिकार सीमा के अन्तर्गत है। इसलिए अधिशासी अभियन्ता की यह

व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्राक्कलन में शासनादेश एवं प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. द्वारा निर्गत विशिष्टियाँ /दिशा निर्देश तथा समय समय पर इस स्तर से निर्गत निर्देशों का समुचित समावेश सुनिश्चित करलें।

1.6. सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन का निर्माण सबसे पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मजरों से ही प्रारम्भ किया जायेगा।

1.7. सी.सी.रोड/के.सी. ड्रेन का निर्माण सबसे पहले घनी आबादी वाली उन गलियों में कराया जायेगा जिनकी चौड़ाई सबसे कम हो।

1.8. घरों एवं घरों के सामने सहन के पानी के निकासी हेतु यथावश्यक एस.डब्लू. पाईप/पालस्टिक पाईप आवश्यकता के अनुरूप सर्वेक्षण के समय ही स्थल इंगित करते हुये प्राक्कलन में प्राविधान किया जाये।

1.9. के.सी.ड्रेन का लेवल इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि सभी घरों/सहन के पानी का बहाव के.सी. ड्रेन से होकर सुगमतापूर्वक सम्भव हो सके।

1.10. जहाँ गली के केवल एक तरफ आबादी हो वहाँ 2.5 मीटर तक की चौड़ाई की सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा तथा आबादी के तरफ ही के.सी. ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा।

1.11. जहाँ मजरें में दो आबादी के बीच 50 मीटर से कम दूरी है वहाँ 2.5 मीटर चौड़ाई की सीमा तक सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा परन्तु के.सी. ड्रेन का निर्माण नहीं किया जायेगा। जहाँ दो मजरों की आबादी के मध्य 200 मीटर तक की दूरी है उसमें 2.5 मीटर तक की चौड़ाई में सी.सी. रोड का निर्माण बिना के.सी.ड्रेन के तथा 200 मीटर से अधिक की दूरी होने पर बिटुमिनस मार्ग के निर्माण का **प्रस्ताव/प्रारम्भिक आगणन विभाग द्वारा तैयार कर लो.नि.वि. के सम्बन्धित खण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।**

2. टेण्डर आमंत्रण/टेण्डर स्वीकृति –

2.1. चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा में सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण मात्र 40 लाख रुपये की सीमा तक ही किया जाना है, जिसकी निविदा की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता के वित्तीय अधिकार सीमा के अन्तर्गत है इसलिए अधिशासी अभियन्ता स्तर से ही निविदाओं का आमंत्रण/स्वीकृति की जायेगी, तथा अनुबन्ध का गठन भी अधिशासी अभियन्ता स्तर पर ही किया जायेगा।

2.2. शासनादेश संख्या-4436/62–3–2008–111 आरईएस/03 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 के अनुसार डी–श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार भी 40 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा दे सकते हैं। ठेकेदारों की पंजीकरण नियमावली के अनुसार डी–श्रेणी के ठेकदार के पास कोई टी. एण्ड पी. होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु सी.सी. रोड का निर्माण बिना सी.सी. मिक्सर एवं सरफेश वाइब्रेटर के सम्भव नहीं है। इसलिए अधिशासी अभियन्ता निविदा के बिड डाकूमेन्ट में एक विशेष शर्त का अंकन करेंगे कि वह ठेकेदार जिनके पास अपने स्वयं के स्वामित्व की सी.सी. मिक्सर मशीन, सर्फेस वाइब्रेटर, ज्वाइंट कटिंग एवं मशीन वाटर टैंकर हो केवल वही निविदा डालने हेतु अर्ह होंगे। उक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

2.3. अनुबन्ध कर्ता बिड डाक्यूमेन्ट में इस विशेष शर्त का अंकन करेंगे कि किसी भी ठेकेदार द्वारा कार्य सबलेट नहीं किया जायेगा, कार्य करते समय ऐसा पाये जाने पर उक्त अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। अन्यथा इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अनुबन्ध कर्ता की होगी।

2.4. यदि अधीक्षण अभियन्ता कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के लिए आवश्यक समझें तो कई डॉ. अम्बेडकर ग्रामों को मिलाकर 40 लाख से ऊपर का पैकेज बना सकते हैं एवं तदनरूप निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध की कार्यवाही वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से कर सकते है। पैकेज बनाते समय इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाये कि पैकेज के सभी ग्रामों में साथ–साथ कार्य सम्पादित हो सके।

3. निर्माण कार्य –

वर्ष 2009–10 में प्रस्तावित सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन निर्माण कार्यों के सम्पादन एवं विशिष्टियों के सन्दर्भ में शासनादेश दिनांक 16–06–2009 एवं प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 17–06–2009 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा भी पत्रांक 1359 दिनांक 24–11–08 एवं एम.118 दिनांक 27–11–2008 द्वारा भी विस्तृत निर्देश सी.सी. रोड एवं नाली के सन्दर्भ में निर्गत किये गये थे जिसके अधिकांश बिन्दु जो सी.सी. रोड/के.सी. रोड निर्माण में भी प्रासंगिक है वह पूर्ववत प्रभावी रहेगें।

निर्माण के दौरान कार्य की समुचित गुणवत्ता बनाये रखने के लिये इस कार्यालय के पत्रांक–297/ग्रा.अ.से./निर्माणकार्य/2000–2001 दिनांक 28–07–2000 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में जारी किए गये हैं उसी तारतम्य में सी.सी.रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण के लिये निम्न बिन्दुओं को पुनः स्पष्ट किया जाता है–

3.1. चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबादी वाले मजरों में सबसे पतली गली से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लेवल पिलर बनाया जायेगा जिससे मार्ग/के.सी. ड्रेन का ढालान सुनिश्चित किया जा सके, यदि लेवल पिलर बनाना सम्भव न हो तो दिवालों पर सफेद पेन्ट कर काले रंग से लेवल (आर.एल.) की मार्किंग जायेगी। यदि कार्यस्थल पर बिना लेवल मार्क किये हुये कार्य होता हुआ पाया जायेगा तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

3.2. इस कार्यालय के पत्रांक 75/ग्रा0अ0से0/डा0अ0से0/सी0सी0 रोड–के0सी0 ड्रेन/निर्देश/2009–10 दिनांक 02 जुलाई, 2009 के द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने से पहले निर्माण सामग्री की टेस्टिंग कर क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्टर में परीक्षण परिणाम अंकित करना अनिवार्य है। इसलिए कार्यस्थल पर निर्माण से पूर्व सभी सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त ही प्रयुक्त करने की अनुमति दी जाये। जो निमार्ण सामाग्री टेस्ट में निर्धारित विशिष्टियाँ से कमतर हो उसे तत्काल कार्यस्थल से हटवा दिया जाये। उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता का उत्तरदायित्व होगा।

3.3. जिस गली में निर्माण प्रारम्भ किया जाना है उसकी पूरी लम्बाई में विशिष्टियों के अनुरूप लेवल करके निर्धारित एक समान ढलान सुनिश्चित करते हुये लीन कॉन्क्रीट एवं नाली का निर्माण साथ–साथ प्रारम्भ कराया जाये।

3.4. सी.सी. की ढलाई में दोनों साइड में रोक के लिए चैनेल की उपलब्धता होनी चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा मौके पर चैनेल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोनों साइड में 1:8 सीमेन्ट सैण्ड मसाले की कच्ची चिनाई कर उसके अन्दर 1:8 का कच्चा प्लास्टर कराकर सी.सी. की ढलाई की जा सकती है परन्तु इस कच्ची चिनाई का भुगतान नहीं किया जायेगा। ढलाई के अगले दिन कच्ची चिनाई की उक्त शटरिंग खोल दी जायेगी एवं साइड में यदि किसी प्रकार की हनी कॉम्बिंग है तो अगले दिन ही साइड शटरिंग हटाने के तुरन्त बाद 1:3 सीमेन्ट कोर्स सैण्ड के मसाले/सीमेन्ट सलरी (Cement Slurry) से फिनिशिंग कर दी जाये इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाये। विपरीत परिस्थिति के लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता जिम्मेदार होंगे।

3.5. कार्यस्थल पर सी.सी. रोड का निर्माण बिना मिक्सर मशीन, सर्फेस वाइब्रेटर एवं ज्वाइंट कटिंग मशीन के अनुमन्य नहीं है यदि ठेकेदार द्वारा बिना उपरोक्त टी0 एण्ड पी0 के कार्य कराया जाता है, तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता इसकी सूचना तत्काल अपने सहायक अभियन्ता को देंगे एवं कार्य को रुकवा देंगे। सहायक अभियन्ता द्वारा अवर अभियन्ता से सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करते हुये अधिशासी अभियन्ता को सूचित करेंगे। अधिशासी अभियंता द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये यथा आवश्यक ठेकेदार के अनुबन्ध को निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे।

3.6. कार्यों की गुणवत्ता सर्वोपरि है, इसलिए सभी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। यदि ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के निर्देशों के अनुरूप

कार्य न किया जा रहा हो, तो सहायक अभियन्ता अपनी लिखित आख्या सहित सूचना अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये यथाआवश्यक अनुबन्ध के निरस्तीकरण एवं अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

3.7. अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता कार्य स्थल पर निरीक्षण के समय कम से कम एक पैनल सी.सी. मार्ग की ढलाई अपने समक्ष अवश्य करायें तथा यथास्थान उक्त सी.सी. पैनेल पर कार्य का दिनांक भी अंकित करें।

3.8. कार्य की गुणवत्ता, सड़क की ढलान, उसका कैम्बर, नाली का स्लोप इत्यादि गलत पाये जाने पर अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, के साथ–साथ अधीक्षण अभियन्ता भी उत्तरदायी होंगे।

3.9. प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. के उपरोक्त अंकित पत्र में विशिष्टियों एवं कार्य सम्पादन के विषय में विस्तृत निर्देश दिया जा चुका है। विदित है कि एल.सी. एवं सी.सी. कार्य कंक्रीट मिक्सर से ही किया जाना है हैण्ड मिक्सिंग किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है। मिक्सिंग के समय वाटर सीमेण्ट अनुपात 0.5 से अधिक कदापि न रखा जाये। स्लम्प (Slump test) टेस्ट प्रत्येक दिन किया जायेगा तथा उसका समुचित रिकार्ड भी क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्टर में रखा जाए ।

3.10. आई.आर.सी. एस.पी.–62 के पृष्ठ संख्या–14 (संलग्न छायाप्रति) के अनुसार प्रत्येक 2.5 से 3.75 मीटर के अन्तराल पर कन्ट्रैक्शन ज्वान्इट दिया जाये। ज्वाइन्ट की मोटाई 3 से 5 मिमी. तथा गहराई सी.सी. स्लैब के मोटाई का एक तिहाई ही रखा जाना है। किसी भी दशा में पूरी गहराई तक कन्ट्रेक्शन ज्वाइन्ट नहीं बनाना है। ज्वाइन्ट बनाने के लिये 3–5 मिमी. मोटाई के लोहे के टी–सेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक सम्भव हो यह प्रयास किया जाय कि एक गली में सी.सी. ढलाई का कार्य एक दिन में ही समाप्त कर दिया जाय। यदि ऐसा सम्भव न हो तो एक दिन के सी.सी. का कार्य समाप्त करने के स्थान पर कन्सट्रक्शन ज्वाइन्ट सी.सी. की पूरी मोटाई के बराबर बनाया जाय। किसी भी दशा में दिन के कार्य समाप्ति के स्थान पर कंक्रीट स्लोप में न डाली जाये। क्योंकि स्लोप की कंक्रीट के ट्रेफिक चलने के समय टूटने की सम्भावना रहेगी।

3.11. अधीक्षण अभियन्ता जब भी कार्यस्थल पर निरीक्षण के लिए जाये तो यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लेवल मार्क करके ही कार्य कराया जा रहा है एवं सामग्री की टेस्टिंग की जा रही है नाली के लेवल, मार्ग के ग्रेडियेन्ट तथा कैम्बर की भी चेकिंग करेंगे।

3.12. प्रत्येक कार्यस्थल पर एक साइट आर्डर बुक (site order book pages serially numbered) रखा जायेगा। जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्टर के साथ कार्यवार एवं अनुबन्ध वार निर्गत किया जायेगा। जिसपर सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर दिये गये निर्देश आदि का उल्लेख करते हुए अंकन किया जायेगा।

3.13. किसी भी गली का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फोटोग्राफी करायी जायेगी तथा कार्यपूर्ण कराने के बाद भी फोटोग्राफी करायी जायेगी एवं फोटोग्राफ अभिलेख में सुरक्षित रखे जायेंगे।

3.14. चूंकि पक्का आउट फाल ड्रेन का निर्माण नहीं किया जाना है। अतः सर्वेक्षण के समय ही ड्रेनेज प्लान बनाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्राम का पानी किस तरफ से एवं कैसे बाहर निकलेगा इसके लिए आउट फाल ड्रेन अन्य योजना से निर्मित कराने का प्रस्ताव तैयार कराकर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना अधिशासी अभियन्ता की जिम्मेदारी होगी। फिर भी यह उचित होगा कि आबादी में गंदगी न फैले इसलिये कच्ची नाली के माध्यम से पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

3.15. सी.सी. रोड की ढलाई के बाद तराई करना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। पूर्व में तराई हेतु हैजेन क्लाथ का प्राविधान किया गया था किन्तु चोरी की शिकायतों एवं स्थानीय उपलब्धता न होने के कारण तराई कार्य प्रभावित होने के दृष्टिगत हैजेन क्लाथ के प्रयोग की बजाय तराई करने के लिए छोटी–छोटी क्यारी बनाकर पानी से भरा जायेगा अथवा गीला सैण्ड डालकर समय–समय पर पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जायेगा।

3.16. कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए निर्माण अवधि में कार्यों का पर्याप्त निरीक्षण करते हुए मानक के अनुरूप कार्यों का सम्पादन कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी निर्माणाधीन डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य किया जाए। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी सप्ताह में दो जनपदों का निरीक्षण किया जाए तथा प्रत्येक जनपद की कम से कम दो निर्माणाधीन डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का विस्तृत निरीक्षण किया जाए। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा भी कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण के लिए माह में कम से कम चार जनपदों की 08 निर्माणाधीन डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का निरीक्षण किया जाए।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ।

पत्रांक एंव दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ।